

मध्यप्रदेश विधान सभा पत्रक भाग- दो

गुरुवार, दिनांक 23 फरवरी, 2017 (फाल्गुन 4, 1938)

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश, जिसे सभा ने दिनांक 23 फरवरी, 2017 को स्वीकार किया है, के अनुसार - मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 1 सन् 2017) पर चर्चा हेतु एक घण्टे का समय निर्धारित किया गया है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.